

संपादकीय आधुनिक युग में रामलीला की प्रासंगिकता

पूरी न्यायपालिका प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हलकी, अप्रासंगिक टिप्पणियों से ना सिफ जजों की नकारात्मक छवि बनती है, बल्कि पूर्ण न्यायपालिका प्रभावित होती है। स्वागतयोग्य है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की छवि की रक्षा करने की पहल की है इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट को उच्चतर न्यायपालिका के जजों को जुबान पर काबू रखने के लिए चेतावनी जारी करने पड़े! लेकिन ऐसी ही स्थिति हमारे सामने है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज वी. श्रीशानंद की सांप्रदायिक एवं स्त्री-द्रोही टिप्पणियों से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहल पर पांच जुड़ों की बेंच बनाई। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने बुधवार को निर्णय दिया कि जस्ति-श्रीशानंद का बोंगलुरु के एक इलाके को '%पाकिस्तान' बताना सैंवेधानिक रूप से गलत है। साथ ही कोर्ट ने जजों के लिए आम चेतावनी जारी की। कहा कि वे ऐसी हलकी टिप्पणियां ना करें, जिनसे उनके सांप्रदायिक एवं स्त्री-द्रोही पूर्वाग्रह जाहिर होते हों जस्ति-श्रीशानंद ने एक महिला अधिकारी को संबोधित करते हुए महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें कही थीं। यह सुनना अजीब लगता है, लेकिन यह अफसोसनाक स्थिति आज की हकीकत है कि जज सामान्य विवेक को आहत करने वाली बातें कह डालते हैं। जजों को कैसे बोलना चाहिए, अगर यह सुप्रीम कोर्ट के बताना पड़ रहा है, तो न्यायपालिका आज किस हाल में है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा— मामले से असंबंधित स्त्री-द्रोही या पूर्वाग्रहयुक्त अन्य टिप्पणियों करने के बजाय जजों को अनिवार्य रूप से संविधान के ऊसलों का पालन करना चाहिए।' वैसे यह सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आत्म-मथन का विषय है कि उसकी कॉलेजियम प्रणाली ऐसे व्यक्तियों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश करें कर डालती है, जो बाद में इस तरह की बातें कोर्ट रूम बोलते हैं। अखिर ऐसी टिप्पणी का यह कोई अकेला मामला नहीं है। हाल तक वर्षों में जजों की ओर से संविधान की भावना के खिलाफ जाकर टिप्पणियां करने के मामले बढ़ते चले गए हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हलकी, अप्रासंगिक टिप्पणियों से ना सिफारिश जजों की नकारात्मक छवि बनती है, बल्कि उससे पूर्ण न्यायपालिका पर खराब असर पड़ता है। स्वागतयोग्य है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की छवि की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाई है।

डा. रविंद्र सिंह

रामलीला मंचन के दौरान कलाकारों और दर्शकों की आराध्य देव के प्रति आस्था और समर्पण उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक साबित होता है। यह समर्पण उनके व्यक्तित्व को निखारता है, उन्हें एक नई दिशा भी देता है देवभूमि में रामलीला और रामायण देव-परम्परा देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सबसे मूलभूत और सशक्त पहचान रही है। हमारे दैनिक जीवन, परम्पराओं, रीत-स्विंगों और जीवन मूल्यों पर देवी-देवताओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं, इन देवी-देवताओं की आस्था का अधिकेन्द्र भगवान रघुनाथ (भगवान श्रीराम) रहे हैं। जिस प्रकार से हिमाचली समाज देवी-देवताओं की आराधना करता है, उसी प्रकार से हमारे देवी-देवता भगवान रघुनाथ को अपना आराध्य देव मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय कल्पु दशहरा में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के देवी-देवता भगवान रघुनाथ के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को अधिव्यक्त करते हैं। इस अवसर पर हर वर्ष भगवान रघुनाथ की एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है। सभी देवता इसमें उपस्थित होकर भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सम्भवतः इसी कारण देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रामलीला मंचन को लेकर विशेष आस्था और आकर्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार, देव परम्परा के केंद्र में स्थित भगवान राम हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रमुख आधार हैं और उनके प्रति समर्पण रामलीला जैसे आयोजनों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तीन अक्तूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कस्बों और गांवों में रामलीला का मंचन भी प्रारम्भ होगा। इसमें भगवान श्रीराम की जीवन यात्रा का नाटकीय रूप से प्रस्तुतीकरण किया जाता है। रामलीला में स्थानीय कलाकार पारम्परिक वेशभूषा धारण करके रामायण के पात्रों को जीवंत करते हैं। इस लोक नाट्य रूप में मंचित रामलीला में गीत, संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से भगवान राम की कथा का मंचन किया जाता है। यह रामलीला लोगों को भगवान राम के आदर्श जीवन की स्मृति दिलाती है और समाज को धर्म और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देती है।



इससे समाज में आपसी सद्व्यवहार और धार्मिकता को बल मिलता है। इस प्रकार रामलीला का मंचन हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सजीव रखता है और देव समाज की धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करता है। हिमाचल प्रदेश में रामलीला का मंचन केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और एकता का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। रामलीला की विशेषता यह है कि इसमें हर जाति, मत और वर्ग के लोग एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। विभिन्न समुदायों से आने वाले लोग एक कलब या समूह में शामिल होकर रामायण की कथा का सामूहिक मंचन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव या सामाजिक असमानता नहीं होती, बल्कि सभी समान रूप से भगवान राम के आदर्शों और रामायण की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए सहयोग करते हैं। इससे सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होता है। यह प्रक्रिया समाज में समानता और सहिष्णुता को प्रकट करती है, जिसमें सब लोग धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था और समर्पण को साझा करते हैं। इससे समाज में सामाजिक एकता का संदेश प्रसारित होता है। इस प्रकार रामलीला हिमाचल प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है, जो पूरे समाज को एकजुट रखने में सहायक है। रामलीला मंचन भारतीय संचार परम्परा की एक अनूठी एवं

प्रभावशाली परम्परा है। मध्यकाल से ही भारत में रामलीला का मंचन होता आ रहा है। इसके बावजूद दर्शकों में इसके प्रति आकर्षण कभी कम नहीं हुआ है। हर वर्ष रामलीला मंचन की विषयवस्तु एक ही रहती है। दर्शकों को मालूम होता है कि किस समय कौनसा दृश्य आएगा। हर साल इसका कथानक और घटनाक्रम समान रहता है, फिर भी यह हर बार दर्शकों के लिए नई प्रेरणा और अनुभव लेकर आता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार भारतीय संचार परम्पराएं स्थायित्व और ताजगी के साथ पुनरावृत्ति में भी प्रभावी होती हैं। इस प्रकार रामलीला के बहुधार्मिक नाटक भर नहीं है, बल्कि यह संचाद का एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग एकत्र होकर सांस्कृतिक अनुभव साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में रामलीला मंचन की परम्परा निरंतर समृद्ध होती जा रही है। हर वर्ष नए कलब खड़े हो रहे हैं। खास बात यह कि ये रामलीला कलब और कार्यक्रम बिना किसी सरकारी प्रश्रय के आगे बढ़ रहे हैं। समाज ही इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए संसाधनों की व्यवस्था करता है। सामाजिक सहयोग के बलबूते ही यह आयोजन निरंतर बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय कुछ स्थानों पर इन मंचों पर अश्लीलता को भी स्थान मिलने लगा था। मगर समाज के उचित दखल और इस मंच की मर्यादा को समझते हुए इस कुप्रथा पर विराम लगा है। यह एक सुखद संकेत है। रामलीला मंचन करने वाले कलाकार और देखने के लिए

आने वाले दर्शक अपने आराध्य देव के प्रति सच्ची आस्था और समर्पण भाव लेकर आते हैं। सभी देवता इसमें उपस्थित होकर भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सम्भवतः इसी कारण देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रामलीला मंचन को लेकर विशेष आस्था और आकर्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार, देव परम्परा के केंद्र में स्थित भगवान राम हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रमुख आधार हैं और उनके प्रति समर्पण रामलीला जैसे आयोजनों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तीन अक्षबूर्ब से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कस्बों और गांवों में रामलीला का मंचन भी प्रारम्भ होगा। इसमें भगवान श्रीराम की जीवन यात्रा का नाटकीय रूप से प्रस्तुतीकरण किया जाता है। रामलीला में स्थानीय कलाकार पारम्परिक वेशभूषा धारण करके रामायण के पात्रों को जीवंत करते हैं। इस लोक नाट्य रूप में मंचित रामलीला में गीत, संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से भगवान राम की कथा का मंचन किया जाता है। इसलिए नशाखोरी जैसी बुराइयों को समाप्त करने से लेकर सामाजिक सद्व्यवहार को बढ़ावा देने की दृष्टि से रामलीला का मंचन अत्यंत उपयोगी रहा है। अतः हिमाचल प्रदेश में जब पिछले कुछ समय से नशाखोरी की आदत बढ़ने लगी है, रामलीला से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर नशामुक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। रामलीला मंचन के दौरान कलाकारों और दर्शकों की आराध्य देव के प्रति आस्था और समर्पण उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक साबित होता है। यह समर्पण न केवल उनके व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि उन्हें एक नई दिशा देने में भी मदद करता है। कलब का कोई सदस्य अगर नशाखोरी की चपेट में आ भी गया हो, तो रिहर्सल शुरू होने से लेकर दशहरा तक वह इससे दूर रहने का संकल्प लेता है। इसके प्रभाव में कई युवाओं ने हमेशा-हमेशा के लिए नशा छोड़कर बेहतर जीवन जीना शुरू किया है। हिमाचल में नशाखोरी की समस्या के प्रचलन के मद्देनजर, रामलीला मंचन युवा पीढ़ी को इस बुराई से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। रामलीला की प्रासंगिकता यही है।

आलेख

कई बुजुर्ग अपने अपमान के विरुद्ध खामोश रहते ही हैं

रजनीश कपूर

सभी वरिष्ठ नागरिकों शायद को %माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' के कानून की जानकारी रखनी चाहिए ताकि अपने साथ हो रहे दुर्घटवहार और अपमान के ख़लिफ़ न्याय लेने के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत ऐसे तमाम प्रावधान हैं जहां बुजुर्गों की सुरक्षा व देखभाल का ख़्याल रखा गया है। आधी दुनिया पर विजय पाने वाला सिकंदर-ए-आज़म जब अपने देश वापिस लौट रहा था तो उसका स्वास्थ्य इतना बिगड़ा की वह मरणासन्न स्थिति में पहुँच गया। अपनी मृत्यु से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा की मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरी तीन इच्छाएँ पूरी की जाएँ। उन तीन इच्छाओं में से एक इच्छा थी। मेरी अर्थी में मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर रखे जाएँ ड़ूँगे इससे लोग समझ सकें की जब मैं दुनिया से गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। इंसान आता भी खाली है और उसे दोनों हाथों की जगह दोनों हाथ खाली हैं।

हाथ ह आर जाता भा खाला हाथ ह। परंतु इस बात का बिना समझा, हम हर पल अधिक से अधिक संपत्ति और धन अर्जित करने की दौड़ में लग जाते हैं। आए दिन हमें यह देखने को मिलता है कि किसी बुजुर्ग को, पैसे और संपत्ति के लालच में उसी की संतान ने घर से बेघर कर दिया। ऐसा अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जब बच्चों को सही संस्कार नहीं दिये जाते। ऐसा अक्सर तब भी होता है जब घर के बड़े-बुजुर्ग अपने मोहूं और स्वेह के चलते, अपने जीते-जी ही अपनी चल-अचल संपत्ति के सभी उत्तराधिकार अपने बच्चों को दे देते हैं। जो संतान संस्कारी होती है वे बिना किसी लोभ या स्वाधर्के, अंतिम समय तक अपने माता-पिता की सेवा करते हैं। परंतु ऐसी भी संतान होती हैं जिन्हें जैसे ही इस बात का

पता चलता है कि माता-पिता ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, वैसे ही उनका अपने माता-पिता के प्रति व्यवहार बदलने लगता है। परंतु सभी वरिष्ठ नागरिकों शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत वे अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अपमान के खलाफ़ न्याय लेने के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, भारत सरकार का एक अधिनियम है जो वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के भरण-पोषण और देखभाल के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, बच्चों और उत्तराधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण देना कानूनी दायित्व है। इस अधिनियम के तहत, राज्य सरकारों को हर ज़िले में वृद्धाश्रम स्थापित करने के प्रावधान भी हैं। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक आपनी शायद या मंपन्ति से अपना भरण-पोषण करने में अमर्मश्व है तो वह

अपना आवं या सपात्स स अपना भरण-पोषण करन म असमय ह, तो वह अपने बच्चों या रिश्टेदारों से भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या संरक्षण प्राप्त करने के बाद उसे उपेक्षित किसी जगह छोड़ देता है, तो उसे तीन महीने तक की जेल हो सकती है या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के बच्चे नहीं हैं, तो वह भी मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकता है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का इस्तेमाल रिश्टेदार कर रहे हैं, तो सम्पत्ति का इस्तेमाल करने वाले या उसके वारिस पर बुजुर्ग की देखभाल के लिए दावा किया जा सकता है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि बुजुर्गों को उन्हीं के खून द्वारा अपमानित व उपेक्षित किया जाता है। ऐसे में कई बुजुर्ग जिन्हें इस अधिनियम की जानकारी नहीं है वे तो अपने अपमान के विरुद्ध खामोश रहते ही हैं। साथ ही ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो समाज में अपनी व अपने बच्चों की मर्यादा और इज़ज़त की खातिर कानूनी सलाह या कार्यवाही नहीं करते। बीते दिनों दिल्ली से सटे नोएडा की एक खबर आई जहां 85 वर्ष के एक वरिष्ठ पत्रकार को अपने ही घर से बेघर होने की स्थित का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक-एक पाई जोड़ कर सन् 2000 में एक फ्लैट खरीदा। 205 में जब उनकी इकलौती बेटी शादी विफल हुई तो वो अपने पुत्र के साथ अपने पिता के घर में रहने लगी। कई वर्षों तक सब कुछ ठाक-ठाक चलता रहा। 2022 में अपनी पुत्री के प्रति स्नेह के चलते उन्होंने अपने फ्लैट को एक '%गिप्ट डीड' के निये आरी देरी दे राया तो दिया।

अशोक प्रवृद्ध

श्रीकृष्ण ने दुष्टा करने वाले मनुष्य की दुष्टा को कुचल देने का उपदेश देता हुए कहा है- विनाशाय च दुष्कृताम् । अर्थात्- दुष्टा करने वाले मनुष्य की दुष्टा को कुचल दो । ऐसा करके ही अहिंसा का पालन व सत्य की रक्षा अनेक अवसरों पर होती है । इसलिए मनुष्यों को अहिंसा का प्रयोग करते हुए विवेक से कार्य लेना चाहिए । एक सीमा तक ही लोगों का बुरा व्यवहार सहन करना चाहिए और उसके नहीं सुधरने पर उसका समुचित निराकरण यथायोग्य व उससे भी कठोर व्यवहार करके करना चाहिए । भारतीय परंपरा में अहिंसा और सत्य भाषण समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर माने गए हैं । अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है । सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुष के सभी कार्य आरंभ होते हैं । महाभारत, वनपर्व में कहा गया है

प्रकृति के गुण, कर्म व स्वभाव का यथार्थ ज्ञान सत्य कहा जाता है। ईश्वर का प्रथम प्रमुख नाम ही सच्चिदानन्दस्वरूप है। सच्चिदानन्द तोन शब्दों का समुदाय है, जिसमें सत्य, चित्त और आनन्द इन तीन गुणों का समावेश है। सत्य किसी पदार्थ की सत्ता को कहते हैं। ईश्वर है और उसकी सत्ता भी है, यह यथार्थ है। इसलिए ईश्वर को सत्य कहा गया है। वैदिक मत के अनुसार सत्य पर ही अहिंसा प्रतिष्ठित होता है। अहिंसा परम धर्म, परम तप और परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। महाभारत आदि पर्व, पौलोम पर्व 11/12, 11/13, अनुशासन पर्व, दानधर्म पर्व 116/28, 245/4 आदि श्लोकों में अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। महाभारत अनुशासनपर्व, दानधर्म पर्व 116/28 के अनुसार अहिंसा परम धर्म, परम संयम, परम दान, परम तपस्या है। महाभारत अनुशासन पर्व दानधर्म पर्व 245/4 के अनुसार अहिंसा परम धर्म, परम सुख है। वैदिक ग्रंथों में में अहिंसा को परमपद बताया गया है। महाभारत अनुरीतापर्व आश्व मेधिकपर्व 43/20 व 43/21 के अनुसार अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण (स्वरूप) है। अहिंसा का अर्थ होता है अ-हिंसा अर्थात् हिंसा न करना। दूसरों के प्रति वैर भावना का त्याग करना। किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मन में किसी का अहिंत न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी नुकसान न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी कि हिंसा न करना, यह अहिंसा है। दूसरों के प्रति वैर भाव

अथवा कोई निजी स्वार्थ होने पर ही हम दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं, जबकि कोई यह नहीं चाहता कि दूसरे लोग व प्राणी उनके प्रति हिंसा करें। हिंसा जिसके प्रति की जाती है, उसके हिंसा से दुख व पीड़ा होती है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारे प्रति हिंसा का व्यवहार न करे तो हमें भी दूसरों के प्रति हिंसा का त्याग करना होगा। दूसरों के प्रति अपने मन व हृदय में प्रेम व स्नेह का भाव उत्पन्न करने पर ही हिंसा दूर हो सकती है। इससे मन व हृदय में शांति उत्पन्न होगी, जिससे हमारा मन व मस्तिष्क ही नहीं अपितु शरीर भी स्वस्थ एवं दीर्घायु को प्राप्त होगा। इसलिए हर उस व्यक्ति को दूसरे प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार करने के लिए उद्यत रहना चाहिए, जो दूसरों के द्वारा अपने प्रति हिंसा का व्यवहार करना पसन्द नहीं करते। महाभारत मोक्षधर्म पर्व शांतिपर्व 256/3 में हिंसा की निंदा की गई है—

अव्यवस्थितमयर्दिव्यमूढैर्नास्तिकैर्नैः।

संशयात्मभिरव्यकौर्हिंसा समनउर्वाइतआ।

अर्थात्— जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे लोगों ने ही हिंसा का समर्थन किया है। वैदिक ग्रंथों में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति सहित मनुष्य के कर्तव्यों व मनुष्य जीवन के उद्देश्य व लक्ष्य का यथार्थ बोध कराया गया है। दूसरों को पीड़ा देना अधर्म कहलाता है। मनुष्य हो या पशुङ्कपक्षी, किसी को भी पीड़ा देना अधर्म व महापाप होता है। दृम्यों को पीड़ा देना उनके पति हिंसा

देश द

इसी तरह सोशल मीडिया पर बेवजह की बहस की जाती रही है। इसके बावजूद देश के मुसलमानों ने ठंडा रुख रखा, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न हो देश के मुसलमानों को गुपराह करने और भड़काने की कोशिशें अब नाकाम होने लगी हैं। मुसलमानों को शायद समझ आ गया है कि किस तरह राजनीतिक पट्टयांत्रियों से दूर रह कर अपने विकास पर ध्यान देना है। यही वजह है कि देश के मुसलमानों ने राजनीतिक दलों के नेताओं, मुल्ला-मौलिखियों और हिंदुत्व के कट्टर समर्थकों के उकसावे वाले बयानों को गंभीरता से नहीं लिया। मुसलमानों को यह भी समझ में आ गया है कि चंद सिरफियों की देशविरोधी हरकतों का समर्थन करने से उनकी कौम का नुकसान होगा। यही वजह है कि हाल ही में हिंजबुल्ला के कट्टर आतकवादी और सर्वोच्च रणनीतिकार हसन नसरुल्लाह के खात्मे के बाद देश से व्यापक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसी तरह हमास और इजराइल युद्ध के दौरान मारे फिलीस्तिनियों को लेकर भी कमोबेश यही रुख कायम रहा। कश्मीर के कुछ इलाकों में सिरफियों ने विनाशक अवांत वापी द्वारा तापाला ते-



गए। ई की और दुनिया रुकिरी हुआ। मुसलमानों से पूर्ण तरह इस के हानिया से उड़ा व्यापक ती कोई बात चुनिंदा का लकर दश के मुसलमानों ने चुनिंदा स्थानों पर प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया जताई, किन्तु कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने जमकर उछलकूद मचाई। मुसलमानों ने ऐसे मुझों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35-ए हटाए जाने के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने मुसलमानों का सच्चा हितेशी साबित करने के लिए जमकर विरोध किया। जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कांग्रेस से चुनावी गठबंधन किया। शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांग्रेस ने चुनावी घोषणा में धारा-370 को बापस लाने का ख्याली पुलाव पकाया है। कांग्रेस निंदा करते हैं जी नामांतरी के दो दो ग्राम चुप्पा साध हुए हैं। दश के मुसलमानों ने उनके हितों पर कोई असर नहीं है। यह मुद्दा देश के आम नाहीं है। यह पाक परस्त अब्दुल्ला हुआ मामला है। केंद्र सरकार तलाक को खत्म कर दिया। महिलाओं से जुड़े तीन तलाक भी देश में सिफलखनऊ और पुणे प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन भी 30 अगस्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुआ। देश में अन्य हिस्सों में मुसलमानों द्वारा जातकर पर्सनल लॉ बोर्ड के विफल कर दिया। नागरिकता अधिनियम 2010 (परीक्षा)।

2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने अफानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान से आए प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया। भारत में 2014 तक पात्र अल्पसंख्यकों को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई बताया गया। सीएए के तहत देश के स्थायी निवासी मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुस्लिमों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए के विरोध में मुद्रे पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। इस कानून के तहत यह साफ जाहिर था कि देश में लंबे अर्से से रहने वाले मुसलमानों को इसके दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने इस पर जबरदस्त विवाद पेंदा करके मुसलमानों को दिव्यभिमित करने का प्रयास किया। इस मुद्रे पर कई दिनों तक बाद-विवाद हुआ। आखिरकार देश के मुसलमानों को समझ में आ गया कि सीएए से उनका कोई सरोकार नहीं है। यह कानून सिर्फ बाहर से आए अवैध मुसलमानों पर लागू होगा। यही वजह रही कि इस मुद्रे पर विपक्षी दलों का देश के मुसलमानों ने साथ नहीं चिटाया।

